फर्द अहकाम

झुंथाराम बनाम बन्दीनारायण व अन्य

संख्या 130/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.05.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉं पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण का जवाब आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू–अभि.निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 385 के खसरा नम्बरान 1239, 2075/1241 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7550 है0 व खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 2074/1241 रकबा 0.7550 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगणं की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने व जवाब आने तक उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 25/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	जारी 3344-3345 23/5/25
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थनापत्र (अस्थाई निषेधाज्ञा) विड्रा किये जाने का पेश किया शामिल मिसल है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रा किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible] 20/6/25